

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

..... प्रताप सिंह बनाम गोविन्द  
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 207/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>प्रताप सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>रतन सिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>छावर तह. भदेलर</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....  <u>बराडा (प.ए. भोछडी)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....  <u>563 565 566, 567, 568. 603/567</u>  <u>0.43 0.77 0.05 2.92 0.09 0.20</u></p> <p>कुल कीता ..... 6 ..... कुल रकबा <u>4.4600</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p><u>बराडा (प.ए. भोछडी)</u>      अतः प्रार्थी की ग्राम ..... स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>563, 565, 566, 567, 568, 603/567</u>  <u>0.43 0.77 0.05 2.92 0.09 0.20</u></p> <p>कुल कीता ..... 6 ..... रकबा <u>4.4600</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000=00</u> रूपये अक्षर <u>51 हजार सत्तर</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>रामचन्द्र खटीक</u>        सहायक कलेक्टर एवं        उपखण्ड अधिकारी        चित्तौड़गढ़</p>